रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 83] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 6, 2017/माघ 17, 1938
No. 83] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 6, 2017/MAGHA 17, 1938

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2017

सा.का.नि. 106(अ).—कीटनाशी नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए कतिपय प्रारूप नियम, जिन्हें केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करती है, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 20 अगस्त, 2016 में भारत सरकार कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 808(अ), तारीख 17 अगस्त, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे जिनमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति से पहले जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और जबकि उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां 20 अगस्त, 2016 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और जबकि उक्त अधिसूचना के संबंध में आक्षेपों या सुझावों पर सम्यकत: विचार कर लिया गया था ;

और जबकि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिनके कारण बोर्ड से परामर्श किए बिना नियम बनाना आवश्यक हो गया है;

और जबकि अधिनियम की धारा 36 के परंतुक के निबंधनानुसार बोर्ड से नियमों के बनाए जाने के छह मास के भीतर परामर्श किया जाएगा और केन्द्रीय सरकार किन्हीं ऐसे सुझावों पर विचार करेगी जिन्हें बोर्ड उक्त नियम के संशोधनों के संबंध में बनाए ;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कीटनाशी नियम 1971 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कीटनाशी (दूसरा संशोधन) नियम, 2017 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. कीटनाशी नियम, 1971 के, नियम 10 में, उपनियम (1क) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(1क) ऐसा व्यक्ति जो कीटनाशी का विक्रय करने या वितरण करने के लिए बिक्री, स्टाक या प्रदर्शन करने के लिए अनुज्ञप्ति के अनुदत्त किए जाने के लिए आवेदन करता है, किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि विज्ञान या जैव रसायन या जैव प्रौद्योगिकी या जीव विज्ञान या विज्ञान जिसमें रसायन विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या प्राणि विज्ञान विषय हों, में स्नातक डिग्री रखेगा या किसी ऐसे व्यक्ति को नियोजित करेगा जो, किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि विज्ञान या जैव रसायन या जैव प्रौद्योगिकी या जीव विज्ञान या विज्ञान जिसमें रसायन विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या प्राणि विज्ञान विषय हों, में स्नातक डिग्री रखता हो ;या

किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्विद्यालय या संस्थान से कृषि या उद्यान कृषि या संबद्ध विषयों में एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम रखता हो जिसमें पादप संरक्षण और कीटनाशी प्रबंध पर पाठ्यक्रम अंतर्वस्तु हो:

परंतु कीटनाशी (दूसरा संशोधन) नियम, 2017 द्वारा यथा संशोधित इन नियमों के प्रकाशन की तारीख को विहित अर्हता के बिना विधिमान्य अनुज्ञप्ति रखने वाले सभी फुटकर विक्रेताओं या व्यौहारियों को उक्त अर्हताओं का अनुपालन करने के लिए दो वर्ष की अवधि अनुज्ञात की जाएगी:

परंतु यह और कि कीटनाशियों के विद्यमान ऐसे अनुज्ञप्तिधारी जो पैंतालीस वर्ष से अधिक की आयु के हैं और जो अपना व्यापार या तो स्वयं चला रहे हैं या कीटनाशी (दूसरा संशोधन) नियम, 2017 द्वारा यथा संशोधित इन नियमों के प्रकाशन की तारीख को दस वर्ष की संचयी अवधि से अधिक का अनुभव रखते हैं और जिनका वार्षिक आवर्त पांच लाख रुपए से कम है, उनके नाम में चालू अनुज्ञप्तित्व की अवधि के लिए पूर्वोक्त नियम से छूट प्राप्त होंगे ।

3. यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्यक्ति उसके पास नियोजित है, कर्मचारी के वेतन का संदाय डिजिटल पद्धति के माध्यम से या चैक द्वारा किया जाएगा ।

[फा. सं. 13035/28/2014-पीपी-I (खंड.।।।]

अश्वनी कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 1650(अ), तारीख 19 अक्तूबर, 1971 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनमें निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया:-

1. सा.का.नि. 474(अ), तारीख 24 जुलाई, 1976,
2. सा.का.नि. 736(अ), तारीख 9 दिसंबर, 1977,
3. सा.का.नि. 1064(अ), तारीख 7 नवंबर, 1988,
4. सा.का.नि. 533(अ), तारीख 6 अगस्त, 1993,
5. सा.का.नि. 371(अ), तारीख 20 मई, 1999,
6. सा.का.नि. 372(अ), तारीख 20 मई, 1999,
7. सा.का.नि. 548(अ), तारीख 12 सितंबर, 2007,
8. सा.का.नि. 692(अ), तारीख 7 नवंबर, 2006,
9. सा.का.नि. 128(अ), तारीख 26 फरवरी, 2009,
10. सा.का.नि. 174(अ), तारीख 5 मार्च, 2010,
11. सा.का.नि. 474(अ), तारीख 11 जुलाई, 2013,
12. सा.का.नि. 797(अ), तारीख 13 नवंबर, 2014,
13. सा.का.नि. 840(अ), तारीख 5 नवंबर, 2015
14. सा.का.नि. 164(अ), तारीख 15 फरवरी, 2016 और
15. सा.का.नि. 794(अ), तारीख 12 अगस्त, 2016

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2017

G.S.R. 106(E).—Whereas certain draft rules further to amend the Insecticides Rules, 1971, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968) was published under the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare) vide number G.S.R. 808(E), dated 17th August, 2016, in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section-3, Sub-section (i), dated 20th August, 2016, inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of forty five days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 20th August, 2016;

And whereas, objection or suggestion were duly considered in respect of the said notification;

And whereas, the Central Government is of the opinion that circumstances have arisen, which render it necessary to make rules without consultation with the Board;

And whereas in terms of the proviso to section 36 of the Act, the Board shall be consulted within six months of making of the rules and the Central Government shall take into consideration any suggestions which the Board may make in relation to the amendments of the said rule;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Insecticides Rules, 1971, namely:-

1. Short title and commencement.—(i) These rules may be called the Insecticides (Second Amendment) Rules, 2017.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insecticides Rules, 1971, in rule 10, for sub-rule (1A), the following shall be substituted namely:—

"(1A) Person who applies for the grant of licence to sell, stock or exhibit for sale or distribute insecticides shall possess or employ a person possessing a graduate degree in Agricultural Sciences or Biochemistry or Biotechnology or Life Sciences or in Science with Chemistry or Botany or Zoology from a recognised university or Institute ; Or

One year diploma course in Agriculture or Horticulture or related subjects from any government recognised university or institute with course content on plant protection and pesticides management:

Provided that all retailers or dealers possessing a valid licence without the prescribed qualification as on the date of publication of these rules as amended by The Insecticides (Second Amendment) Rules, 2017 shall be allowed a period of two years to comply with the said qualifications:

Provided further that the existing licensee of pesticides, who are more than forty-five years of age and who have been running their trade either themselves or have inherited with cumulative period of experience of more than ten years as on the date of publication of these rules as amended by The Insecticides (Second Amendment) Rules, 2017 and the annual turn over is less than Rs. five lakh are exempted from the aforesaid rule for a period of licenceship continuing in their name.

(3) The payment of salary of the employee shall be made by licensees through digital mode or by a cheque to ensure that the person is employed with them".

[F. No. 13035/28/2014-PP-I (vol.iii)]

ASHWANI KUMAR, Jt. Secy.

Note : The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1650 (E), dated 19th October, 1971, and subsequently amended *vide*:-

1. G.S.R. 474(E), dated 24th July, 1976,
2. G.S.R. 736(E), dated 9th December, 1977,
3. G.S.R. 1064(E), dated 7th November, 1988,
4. G.S.R. 533(E),dated 6th August, 1993,
5. G.S.R. 371(E), dated 20th May, 1999,
6. G.S.R. 372(E), dated 20th May, 1999,
7. G.S.R. 548(E), dated 12th September, 2007,

8. G.S.R. 692(E), dated 7th November, 2006,
9. G.S.R. 128(E), dated 26th February, 2009,
10. G.S.R. 174(E), dated 5th March, 2010,
11. G.S.R. 474(E), dated 11th July, 2013,
12. G.S.R. 797(E), dated 13th November, 2014,
13. G.S.R. 840(E), dated 5th November, 2015,
14. G.S.R. 164(E), dated 15th February, 2016 and
15. G.S.R. 794(E), dated 12th August, 2016

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.02.09 18:57:43 +05'30'